न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 39 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मानाराम पुत्र जेठाराम
2. श्रीमती खमादेवी पत्न श्री नानगाराम
3. टीकमाराम पुत्र जेठाराम
4. सोहनलाल पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी मौखाव खुर्द तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.चुतराराम पुत्र देवाराम
2.हडुमानराम पुत्र देवाराम
3.विशनाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी भुरटिया तहसील बाड़मेर हाल निवासी मौखाब खुर्द तहसील शिव जिला बाड़मेर।
4.धन्नाराम पुत्र मगाराम
5.रेखाराम पुत्र मगाराम
6.वगताराम पुत्र विशनाराम
7.गंगाराम पुत्र विशनाराम
8.मंगनाराम पुत्र विशनाराम
9.उमाराम पुत्र निम्बाराम
10.लक्ष्मणराम पुत्र निम्बाराम
11.मोहनलाल पुत्र निम्बाराम
12.रूपाराम पुत्र निम्बाराम
13.श्रीमती वीरोंदेवी पत्नी निम्बाराम जाति जाट निवासी कोसरिया तहसील बायतु हाल निवासी मौखाब खुर्द तहसील शिव जिला बाड़मेर।
14.शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा भीयाड़
15.श्रीमान तहसीलदार शिव

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 40 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मानाराम पुत्र जेठाराम
2. श्रीमती खमादेवी पत्न श्री नानगाराम
3. टीकमाराम पुत्र जेठाराम
4. सोहनलाल पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी मौखाव खुर्द तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.चुतराराम पुत्र देवाराम
2.हडुमानराम पुत्र देवाराम
3.विशनाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी भुरटिया तहसील बाड़मेर हाल निवासी मौखाब खुर्द तहसील शिव जिला बाड़मेर।
4.धन्नाराम पुत्र मगाराम
5.रेखाराम पुत्र मगाराम
6.वगताराम पुत्र विशनाराम
7.गंगाराम पुत्र विशनाराम
8.मंगनाराम पुत्र विशनाराम
9.उमाराम पुत्र निम्बाराम
10.लक्ष्मणराम पुत्र निम्बाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

11.मोहनलाल पुत्र निम्बाराम
12.रूपाराम पुत्र निम्बाराम
13.श्रीमती वीरोंदेवी पत्नी निम्बाराम
जाति जाट निवासी कोसरिया तहसील
बायतु हाल निवासी मौखाब खुर्द
तहसील शिव जिला बाड़मेर।
14.शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण
बैंक शाखा भीयाड़
15.श्रीमान तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2012 बअनवान चुतरा वगैरा बनाम मानाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2012 व 26.12.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सोहनलाल चौधरी रेस्पोडेंट 01 से 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 30.01.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी व रहवासीय कब्जा तथा काश्त की भूमि मौजा मौखाब खुर्द तहसील शिव में खसरा संख्या 60 रकबा 112.06 बीघा तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 05 से 14 की संयुक्त खातेदारी व रहवासी कब्जा तथा काश्त की भूमि मौजा मौखाब खुर्द तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 130 रकबा 81.12 बीघा की आई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे गये वो नोटिस कभी भी अपीलांटगण को नहीं मिले इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की सम्यक तामील मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायायलय ने दिनांक 16.07.2012 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार शिव से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर हल्का पटवारी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर हल्का पटवारी ने उतरदाता संख्या 01 से 03 के साथ मिलीभगत कर मौके की जांच किये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर बनाया गया है। मौके पर स्थिति के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है क्योंकि मौके पर खेत खसरा संख्या 60 के दक्षिणी दिशा में सेढा–सेढ सड़क मार्ग निकलता है तथा मौके पर उक्त सड़क मार्ग पर अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 03 का समान रूप से सड़क से लगता हुआ कब्जा काश्त है परन्तु विभाजन प्रस्ताव में सड़क के पास पास

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उतरदाता संख्या 01 से 03 का कब्जा दर्शाते हुऐ अपीलांटगण को सड़क मार्ग से दूर रख दिया है तथा अपीलांटगण को सड़क मार्ग की सुविधा से हमेशा के लिये वंचित कर दिया है जिससे उक्त विभाजन प्रस्ताव एकतरफा एवं निष्पक्ष नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत एवं विधि विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। तहसीलदार स्वयं ने मौका मुआयना नहीं कर अधीनस्थ कार्मिक को अपने अधिकार हस्तांतरण किये जबकि विभाजन में मामले में तहसीलदार स्वयं को मौका मुआयना करना आवश्य है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 10 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 से 03 ने मौके पर अपीलांट के सड़क

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किनारे स्थित कब्जे को हटाने हेतु कहा तथा यह भी कहा कि आपका हिस्सा सड़क पर नहीं है इसलिये आप सड़क के पास से कब्जा हटा लो वरना हम जबरन आपको हटा देगें जिस पर अपीलांटगण ने ऐसा करने का कारण पूछा तब रेस्पोडेंटगण ने अपीलाधीन निर्णय अपने पक्ष में होना बताया। अपीलांट ने अपने अधिवक्ता मार्फत दिनांक 28.05.2013 को उक्त प्रकरण की नकले लेने हेतु आवेदन किया जो नकले उसी दिनांक 28.05.2013 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांटगण को सर्वप्रथम हस्तगत वाद के बारे में जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को मिंयाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार शिव ने मौके की स्थिति के विपरित जाकर बनाया गया। वादग्रस्त आराजी का जो हिस्सा अपीलांट के पक्ष में रखा गया उसमें आने–जाने हेतु किसी प्रकार के रास्ते का प्रावधान नहीं किया गया जबकि रास्ते का प्रावधान संयुक्त खातेदारी की भूमि के बंटवारे के समय करना आवश्यक है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बनाकर न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2012 बअनवान चुतरा वगैरा बनाम मानाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2012 व 26.12.2012 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस सभी सहखातेदारों के हिस्से तक की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते का प्रावधान करते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

30/1/20

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner